राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 1566/2008/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, बहरोड वृत–बी, भिवाडी ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 सिद्धा सीमेन्ट प्रा0लि0,
बहरोड़ ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 180/उपा–भरत/07–08/सीएसटी में पारित आदेश दिनांक 27.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रतिप्रेषित आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवसायी के विरूद्ध अपने आदेश दिनांक 30.05.2000 द्वारा मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2007 द्वारा प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनकर पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.06.2008 पारित कर दिया गया है। अतः अपील सारहीन हो जाने से खारिज होने योग्य है।

3. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष